संख्या: 29/2018/1013/33-3-2018-66/2018

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्लायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3, लखनऊ **दिनांक 09 अप्रैल, 2018**

विषय:- ग्राम स्वराज अभियान (दिनांक 14 अप्रैल से 05 मई, 2018 तक) के संचालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 एवं दिनांक 03 अप्रैल, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने, ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुॅच बढ़ाने, क्रियान्वित कार्यक्रमों पर आमजन की प्रतिक्रिया प्राप्त करने, नए प्रयासों को सम्मिलित करने, कृषकों की आय को दोगुनी करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने एवं स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के कार्यक्रमों पर पुन: पुन: विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दिनांक 14 अप्रैल से 05 मई, 2018 तक 'ग्राम स्वराज अभियान' के संचालन सम्बंधी निर्देश निर्गत किए गए है।

उक्त रूप से कार्यक्रम के संचालन में प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण विभागों को 14 अप्रैल से 05 मई, 2018 तक विभिन्न निर्धारित दिवसों पर एकजुट होकर कार्य करते हुए समुदाय के समस्त वर्गो की प्रतिभागिता लिया जाना है ताकि अभियान को सार्थक, प्रेरक एवं ज्ञानवर्द्धक बनाया जा सके। राज्य, खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान का वृहद प्रचार-प्रसार एवं कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लिए मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को भी आमन्त्रित किये जाने के निर्देश निर्देश प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को भी वॉल पेंटिंग/ फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से सामुदायिक स्थलों पर भी प्रदर्शित किया जाना है। अत: ग्राम स्वराज अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों के साथ दिनांक 18 अप्रैल, 2018 एवं दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को 'स्वच्छ भारत दिवस' का आयोजन-

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को समस्त ग्राम पंचायतों में 'स्वच्छ भारत दिवस' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निम्न कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए-

1.1- ग्राम पंचायतों में सफाई आंदोलन का आयोजन करते हुए खुले में शौच मुक्ति की प्रगति को गति प्रदान की जाए।

http://shasnadeshup.nic.in

1.2- जिला प्रशासन द्वारा अपने जनपद में प्रत्येक स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अभियान में तेजी लाने हेतु रणनीति बनाते हुए आगे कार्य किया जाए।

1.3- स्वच्छता आच्छादन में अंतिम श्रेणी की पचांयतों में भ्रमण कर उन्हें स्वच्छता मानकों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए।

1.4- ग्राम पंचायतों द्वारा श्रमदान करते हुए अपने गॉव में दो गड्ढे वाले शौचालय का निर्माण प्रारम्भ करना एवं शौचालय की सफाई का कार्य किया जाए।

1.5- ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपालों का आयोजन।

1.6- स्थानीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति अथवा नेता को श्रमदान हेतु आमंन्त्रित किया जाए तथा उनके से स्वच्छता संदेशों को समुदाय तक पहुॅचाया जाए।

1.7- शौचालय उपयोग एवं निर्माण की महत्ता के विषय में स्वच्छता रैली का आयोजन कर घर-घर जागरूकता का प्रसार किया जाए।

1.8- खुले में शौच से रोकने के लिए प्रातः एवं सायं में निगरानी का कार्य किया जाए तथा खुले में शौच न करने के विषय में बताते हुए समुदाय को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए।

1.9- जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता गतिविधियों में स्थानीय एवं राष्ट्रीय मीडिया का सहयोग लेने हेतु प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाए।

2. दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन-

दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा-

<u>राज्य एवं जनपद स्तर पर होने वाली गतिविधियॉ-</u>

2.1- राज्य स्तर से प्रिंट, इलेक्ट्रानिक्स, ऑडियों विजुअल एवं सोशल मीडिया, सामूहिक डॉक, एवं बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से प्रभावी आई.ई.सी. कार्यक्रम को क्रियान्वयन किया जाना।

2.2- जनपद एवं खण्ड स्तर पर इस अभियान को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को भी बैठकों में आमन्त्रित किया जाना।

2.3- राज्य एवं जनपद स्तर पर सभी प्रकार के मीडिया के उपयोग से अभियान का प्रचार किया जाना एवं समस्त इलेक्ट्रानिक्स एवं प्रिंट मीडिया के उपयोग से अभियान की कवरेज कराया जाना।

2.4- दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न पुरस्कारों के पुरस्कारग्रहियों एवं सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाना।

2.5- जनपदों द्वारा आवश्यकतानुसार चयनित प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों को दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यालय पर मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार के टेली ब्रिजिंग कार्यक्रम में वार्ता हेतु उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना।

2.6- राष्ट्रीय स्तर पर 'पारस्परिक समूह संवाद' में परिचर्चा के लिए चयनित वक्ता/ प्रतिभागियों के नाम आवश्यकतानुसार राज्य एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।

http://shashadeshup.nic.in

<u>ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली गतिविधियॉ-</u>

2.7- 24 **अप्रैल**, 2018 **को 'विशेष ग्राम सभा' के आयोजन के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों यथा- इम्यूनाइजेशन एवं स्वास्थ्य**, **महिला सशक्तीकरण**, **सामाजिक विकास आदि पर चर्चा करते हुए वर्ष** 2018-19 **की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाना ताकि ताकि ग्राम पंचायतों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित् किया जा सके। साथ ही साथ शासनादेश संख्या**-143/33-3-2018- 10**जी**0**आई**0/2015 **दिनांक** 16 **जनवरी**, 2018 **ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत निर्माण में कम लागत एवं बिना लागत के कायोर्ं को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश में वर्णित कायोर्ं को भी ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाये। जाये।**

2.8- **प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में ड्राइंग, पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना एवं एवं सोशल मीडिया के प्रयोग से इसको व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।**

2.9- **ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त दोनों गतिविधियों** (**बिन्दु** 1 **एवं** 2) **के प्रचार प्रसार में आने वाले व्यय का का वहन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/ स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रा**0), **जनपद स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रा**0) **तथा विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर** 14**वें वित्त आयोग के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकेगा।**

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विभिन्न विभागों की समस्त गतिविधियों में भी समस्त प्रधान एवं सचिव द्वारा आपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उक्त रूप से दिनांक 18 **अप्रैल एवं** 24 **अप्रैल**, 2018 **को आयोजित गतिविधियों की रिपोर्टिंग जनपदों द्वारा निश्चित् प्रारूप पर भारत सरकार की वेबसाइट** (**पृथक से सूचित**) **के साथ-साथ विभागीय गूगलशीट एवं ई-मेल**(rgsa.up@gmail.com) **के माध्यम से अभियान चरण के पश्चात् अर्थात् दिनांक** 20 **अप्रैल एवं** 26 **अप्रैल**, 2018 **को की जाएगी तथा सम्बन्धित विडियों एवं फोटोग्राफस् को विभागीय फेसबुक फेसबुक पेज एवं यू-ट्यूब चैनल पर जनपदवार अपलोड किया जाएगा। अत: प्राप्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित् करते हुए ग्राम स्वराज अभियान को सफल बनानें की दिशा में कार्य कराया जाना सुनिश्चित् करें।**

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-यथोक्त</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- **सचिव**, **पंचायती राज मंत्रालय**, **भारत सरकार।**

2- **निजी सचिव**, **मुख्य सचिव**, **उ**0**प्र**0 **शासन।**

3- **स्टाफ आफिसर**, **कृषि उत्पादन आयुक्त**, **उत्तर प्रदेश शासन।**

http://shasnadeshup.nic.in

4- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण कल्याण विभाग/ कृषि विभाग/ सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि स्वयं के स्तर कार्यक्रम कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त इलेक्ट्रनिक एवं िप्रंट मीडिया में करते हुए नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का लाइव सम्पर्क दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यालयों से करने का कष्ट करें।

7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0। उ0प्र0।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उक्त दिवस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in